नं. जेड-14014/2/2023-**जीसी एण्ड पार्लि. (ई**-3012849)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,

दिनांक: 16.02.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जनवरी, 2023 **माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को जनवरी, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।

11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

<u>जनवरी, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।</u>

देशभर में भू-आधार/विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को प्रारम्भ करने / का कार्यान्वयन करने और 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित जिलों में मातृभूमि जिओपोर्टल की प्रूफ ऑफ कान्सैप्ट (पीओसी) पर विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2023 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विभाग भू-आधार और यूएलपीआईएन को शीघ्र लागू करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि यह सरकार को सभी क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेगा।

2. लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिव, भूमि संसाधन विभाग की उपस्थिति में दिनांक 20 जनवरी, 2023 को लद्दाख में यूएलपीआईएन और भू-आधार (स्वामित्व के तहत संपत्ति कार्ड के लिए) का शुभारंभ किया। अब तक, कुल 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने यूएलपीआईएन की पहल को अपनाया/प्रारम्भ किया है।

3. आंध्र प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने एनजीडीआरएस (ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण) पोर्टल के साथ रजिस्ट्रीकरण डाटा साझा करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे एनजीडीआरएस के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 26 हो गई है।

4. विश्व बैंक की टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में 27 जनवरी, 2023 को विश्व बैंक सहायता प्राप्त रिवार्ड परियोजना के द्वितीय कार्यान्वयन समर्थन मिशन (आईएसएम) पर एक बैठक आयोजित की गई। एनपीएमयू के विशेषज्ञों, भूमि संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एनआरएए ने इस चर्चा में भाग लिया।

5. महाराष्ट्र में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, भूमि संसाधन विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 12.01.2023 को मुंबई का दौरा किया। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र और सचिव, भूमि संसाधन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी अगली किश्त का दावा करने के लिए महाराष्ट्र के लिए युक्तिपूर्ण उपायों पर चर्चा की। गहन निगरानी और कुशल स्ट्रेटेजी के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र को कुल 108 करोड़ रूपए जारी किए जा सके।

6. संयुक्त सचिव (वॉटरशेड प्रबंधक) ने दिनांक 03.01.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठक की। उन्होंने दिनांक 23.01.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "समुदाय आधारित संस्थानों के निर्माण के लिए रणनीति और सतत वाटरशेड के लिए प्रोटोकॉल" पर कार्यशाला को संबोधित किया।

7. जनवरी, 2023 के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश का दौरा किया।

8. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, कुल 6382 परियोजनाओं में से अब तक 6376 परियोजनाएं - कुल मिलाकर 99% पूरी हो चुकी हैं। अब तक 5672 परियोजनाओं का एंड लाइन मूल्यांकन प्राप्त हो चुका है।

9. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) 6,22,106 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।

(ii) 4,905 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।

(iii) 1,18,98,063 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।

(iv) 4,043 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण पूरा किया गया।

(v) 3,184 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना की गई।

*****